अतिमहत्वपूर्ण

संख्या– 7951/नौ–5–2010–526सा/2010

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
3. प्रबंध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश। (द्वारा जिलाधिकारी)

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊः: दिनांक 03 जनवरी, 2011

विषय :जेएनएनयूआरएम कार्यक्रम के यूआईजी व यूआईडीएसएसएमटी कार्यान्श के साथ–साथ अन्य योजनाओं में कराए जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर योजना का पूर्ण विवरण 'डिस्पले बोर्ड' पर प्रदर्शित किया जाना।

महोदय,

अवगत कराना है कि कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स के नियम के अनुसार 'डिस्पले बोर्ड' पर योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने व कार्य के पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इससे वित्तीय सुशासन एवं पारदर्शिता बनी रहती है और आम जनता को योजनाओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। यह निर्माण कार्य की एक स्वस्थ व्यवस्था है, जिसका पूर्ण पालन अत्यावश्यक है। इस सम्बन्ध में समय–समय पर दिशा–निर्देश भी निर्गत होते रहते हैं।

2– अतः उक्त के क्रम में मुझे पुनः यह कहने कर निदेश हुआ है कि विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कराए जा रहे कार्यों के कार्य स्थल पर 'डिस्पले बोर्ड' लगाए जाने तथा उस पर योजना के पूर्ण विवरण यथा– योजना का नाम, कार्यदायी संस्था का नाम, वित्तीय स्थिति, कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, कार्य के पूर्ण होने की तिथि आदि, को प्रदर्शित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे वित्तीय सुशासन व कराए जा रहे कार्यों में पारदर्शिता बनी रहे। इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

भवदीय,

आलोक रंजन
प्रमुख सचिव।

संख्या–7951 (1)/9–5–10 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डालायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, योजना भवन, लखनऊ।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ध्रुव कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।